न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी पुष्कर कुमार मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व संख्या / 136 / एल.आर. एक्ट / 05 / 2015

1. मुस0 देवकी पत्नी रामेश्वर		
2. मनीश	पुत्रगण रामेश्वर	जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बिसदा तहसील भरतपुर
3. पीयूश		
4. प्रभू		
5. जगदीश	पुत्रगण सोनपाल	
1. धनीराम		
2. शिवलाल		
3. हरीबाबू		

.....प्रार्थीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह
   अभिभाषक प्रार्थीगण
2. सुश्री पायल जैन
   नायब तहसीलदार,
   पैरोकार सरकार अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः— 08.02.2018

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.02.2015 को यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर एक्ट 1956 का विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय के साथ पेश किया कि ग्राम चक विसदा तहसील भरतपुर स्थित प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व अभिलिखित खातेदारी के गत खसरा नम्बरान 43/6—01, 73/4—13, 74/3—13 किता—3 कुल रकवा 14 बीघा 12 बिस्वा के मुकाबले हाल सैटिलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बरान 94/0.89, 134/0.39, 135/0.39, 136/0.53 किता 4 कुल रकवा 2.20 है0 बनाये गये है जो गत रिकार्ड की तुलना में हाल रिकार्ड में 0.14 है0 कम दर्ज है। जबकि मौके पर पुरानी डौल मैड बनी हुयी है। मौके पर रकवा पूर्ण है। सिर्फ रिकार्ड में कम दर्ज है। सैटिलमेन्ट विभाग को किसी भी कृषक के रकवे को कम या अधिक करने का अधिकार नही हैं। प्रार्थीगण ने हाल राजस्व अभिलेख में अपना रकवा गतानुसार दर्ज किये जाने की प्रार्थना की।

अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071—74, नकल मिलन क्षेत्रफल बन्दोबस्ती, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2025—28, नकल नकशा हाल को पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी के प्रतिनिधि पैरोकार सरकार उपस्थित न्यायालय आये। उन्होने दिनांक 20.05.2016 को जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण के कथित 0.14 है0 की पूर्ति किस खसरा नम्बर से होगी यह सिद्ध करने में प्रार्थीगण सफल नही हुये है। उन्होने प्रार्थना पत्र की खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.04.2017 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट तहसीलदार, भरतपुर से तलब की

जावे। पैरोकर सरकार द्वारा दिनांक 18.05.2017 को जवाब दिया कि तहसीलदार किसी के भी पक्ष में साक्ष्य सृजित करने को बाध्य नही है। मौका रिपोर्ट की आवश्यकता नही हैं। उन्होने प्रा0पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्षों की बहस सुन दिनांक 18.05.2017 को प्रा0पत्र दिनांक 10.04.2017 खारिज निर्णित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस अन्तिम अभिभाषक प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की सुनी गयी। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम तो प्रार्थीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि उनके पास वादग्रस्त आराजी आने का स्त्रोत क्या रहा। आया प्रार्थीगण ने आराजी क्रय की अथवा विरासतन प्राप्त हुयी। यदि विरासतन प्राप्त हुयी तो प्रा0पत्र में अपना पारिवारिक वंशवृक्ष अंकित करना था। जो अंकित नही है। अपने कथनों को प्रमाणित करने का भार/दायित्व कथनकर्त्ता पर हैं प्रार्थीगण को साक्ष्य से यह प्रमाणित करना होगा कि किस पड़ौसी खसरा नम्बर से हाल रकवा गत रकवे से अधिक दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने गत नक्श अक्स को भी पेश नही किया है। न ही गत व हाल नक्शों को एक दूसरे पर रखकर सुपर इम्पोज प्लान पेश किया है जिससे प्रार्थीगण के कथित कम दर्ज रकवे का कुछ ज्ञान हो पाता। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हाल नक्शा अक्स में वादग्रस्त समस्त खसरा नम्बरान पड़ौसी गांवों के सीमावर्ती नम्बरों से मिले है। अर्थात दो गांवों की सीमायें मिलती है। बन्दोबस्त समाप्ति के 30 वर्ष पश्चात रकवा कमी वेशी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट चलने योग्य नही है। इसके लिए प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद लाना होगा। उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साक्ष्य से प्रमाणित न होने पर स्वीकार योग्य नही हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो। दा0द0 हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 08 फरवरी 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर